प्रकाशनार्थ

पटना, 25 नवम्बर। आज 25 नवंबर, 2020 को इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर (आइजीसी) और आद्री द्वारा ''महिलाओं ओर लड़कियों के साथ होती हिंसा को लेकर बढ़ती चिंता'' विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। पैनल का संचालन बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी प्रिया नंदा ने की। पैनल में सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज की रिसर्च लीड अनामिका प्रियदर्शिनी, विश्व बैंक की अर्थशास्त्री गिरिजा बोरकर और सेहत की वरिष्ठ सलाहकार पद्मा देवस्थली शामिल थीं।

महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाली हिंसा मानवाधिकारों का उल्लंघन है जिसका हिंसा की शिकार लोगों उनके परिवार वालों, और समुदायों पर काफी असर पड़ता है और भारत तथा पूरी दुनिया में इसको लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। वैश्विक अनुमानों से पता चलता है कि पिछले 12 महीनों में 15 से 49 वर्ष उम्र की 18 प्रतिशत महिलाओं और लड़कियों को अपने अंतरंग पार्टनर द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा झेलनी पड़ी है (यूएन वीमन 2020)। भारत में ऐसी महिलाओं का अनुपात बढ़कर 24 प्रतिशत हो गया है (एनएचएफएस-4)। साथ ही, भारत में कभी विवाहित रहीं 31.1 प्रतिशत को और बिहार में 43.2 प्रतिशत महिलाओं को अपने पति की हिंसा झेलनी पड़ी है (एनएचएफएस-4)।

प्रिया नंदा – अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर प्रभाव के लिहाज से महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा की सार्वजनिक, निजी और सामाजिक कीमत का अनुमान किया गया है। हमें महसूस करने की जरूरत है कि महिलाओं का काम और श्रमशक्ति में उनकी भागीदारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए जरूरी है। इसलिए श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी को रोकने या उसमें बाधक बनने वाली चीजों को समझना और उन्हें दूर करने के लिए नीतियों और उनके क्रियान्वयन को मजबूती देने की दिशा में काम करना जरूरी है। राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में महिलाओं द्वारा लॉकडाउन के दौरान पिछले 10 वर्षों की समान अवधि की तुलना में घरेलू हिंसा की अधिक शिकायतें दर्ज करवाई गई। 25 मार्च से 31 मई के बीच घरेलू हिंसा की 1477 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। इन 68 दिनों के दौरान पिछले 10 वर्षों में से किसी भी वर्ष में मार्च से मई के बीच दर्ज शिकायतों से अधिक शिकायतें दर्ज कराई गईं।

अनामिका प्रियदर्शिनी - महिलाएं महसूस करती हैं कि उनकी गलती के कारण उन्हें हिंसा झेलनी पड़ी है। प्रगतिशील व्यवस्था जरूर मौजूद है लेकिन साथ ही सांस्कृतिक संदर्भ भी मौजूद हैं। इसका अर्थ हुआ कि सिद्धांत में हमारे पास प्रगतिशील व्यवस्था है लेकिन हमारी मानसिकता अनिवार्यतः ऐसी नहीं है। रीति-रिवाज बहुत व्यापक होते हैं।

किशोरियों के लिए स्कूल में संवेदनीकार्यक्रमों की जरूरत है और निर्वाचित प्रतिनिधि ऐसे कार्यक्रमों से सहयोग करने की पहल ले सकते हैं। साथ ही, आश्रयस्थलों को पुनर्जीवित किया जा सकता है, आमदनी वाली गतिविधियां चलाई जा सकती हैं और ऐसी गुंजाइश बनाई जा सकती है कि महिलाएं वहां सुरक्षित महसूस करें। बिहार में सामुदायिक स्तर के प्रयास महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा घटाने में सफल रहे हैं।

गिरिजा बोरकर – महिला श्रमशक्ति की भागीदारी के लिहाज से देखें तो इस क्षेत्र में काफी कमी है। खास कर जिन क्षेत्रों में महिलाएं काम करना चाहती हैं वहां पर्याप्त काम नहीं हैं जबकि जिन क्षेत्रों में महिलाओं की अधिक जरूरत है वहां उनकी कमी है।

सड़कों पर उत्पीड़न के भय और यात्रा संबंधी सुरक्षा की बाधाओं के कारण यह देखा गया है कि दिल्ली में कॉलेज जाने वाली महिलाएं शीर्ष 20 प्रतिशत में आने वाले कॉलेज की जगह निचले 50 प्रतिशत में आने वाले कॉलेज का विकल्प चुनने और दूना वार्षिक शिक्षा शुल्क देने के लिए तैयार हैं। लैंगिक आधार पर संवेदनशील तरीके से सार्वजनिक परिवहन की रूपरेखा विकसित करने पर ध्यान देने की जरूरत है।

पद्मा देवस्थली – अब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का कानूनी और गुणवत्ता संबंधी मैंडेट मौजूद है। वर्ष 2017 में भारत की स्वास्थ्य नीति में लैंगिक हिंसा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के बतौर रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बलात्कार पीड़िताओं के लिए चिकित्सा देखरेख दिशानिर्देश जारी किए हैं लेकिन घरेलू हिंसा के संबंध में कोई दिशानिर्देश मौजूद नहीं है। लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में वर्तमान चिंता यह है कि घरेलू हिंसा के मामलों में कैसी प्रतिक्रिया दर्शाई जाय और पीड़ितों के साथ ऐसे मामलों में, खास कर मनौवैज्ञानिक रूप से कैसा बर्ताव किया जाय। अब अस्पताल के स्टाफ को सरकारी विभाग के साथ समेकित कर दिया गया है जिससे हिंसा के खिलाफ प्रतिक्रया दर्शाने

में मदद मिलती है और गैर-सरकारी संगठनों, स्वास्थ्य संबंधी शोधकर्ताओं या महिला समूहों के साथ सरकार की साझेदारी में चलने वाले इन हस्तक्षेपों से पिछले 20 वर्षों में काफी मदद मिली है। महिलाएं, खास कर निम्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाली महिलाएं अधिकांशतः सार्वजनिक अस्पतालों में जाती हैं इसलिए स्वास्थ्य अधिकारियों/ प्रदाताओं द्वारा गुणवत्तापूर्ण देखरेख पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

इसमें समापन वक्तव्य आद्री के निदेशक प्रोफेसर प्रभात पी. घोष ने दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस समस्या के और महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को प्रभावित करने वाले अन्य आयामों के संबंध में अधिक आंकड़ों की उपलब्धता की जरूरत है इसलिए इस संबंध में शोध के लिए गुंजाइश बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा से शिक्षा प्राप्ति और उपार्जन की संभावना में बाधा आती है इसलिए इसकी अच्छी-खासी आर्थिक और सामाजिक कीमत होती है। लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं और कोविड-19 ने लैंगिक समानता संबंधी कमजोरियों को उघाड़कर रख दिया है।